



राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(79)DME/Estt./2017/Part-III/256

दिनांक 01.02.2021

आदेश

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्पलायमेंट रूल्स, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को उनके नाम के सामने उल्लेखित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर समेकित वेतन पर एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	मेडिकल कॉलेज
1.	डॉ. श्रीकांत सुभाष आसावा	मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. उपर्युक्त चिकित्सक शिक्षक का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए होगा। उक्त कार्यकाल में एक बार में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी जो कि अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी।
2. उपर्युक्त चिकित्सक शिक्षक प्रधानाचार्य पद पर कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित विषय में वरिष्ठ आचार्य के रूप में कार्यरत रहेंगे।
3. उपर्युक्त चिकित्सक शिक्षक नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में कार्यग्रहण करेंगे।
4. उपर्युक्त चिकित्सक शिक्षक के द्वारा पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण के समय संबंधित मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक सेल को प्रस्तुत किया जावेगा।
5. उपर्युक्त चिकित्सक शिक्षकों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करनी होगी साथ ही संबंधित मेडिकल कॉलेज के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करा कर एक माह के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा। यदि एक माह में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा मेडिकल परीक्षण/पुलिस सत्यापन में नियोजन के उपर्युक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी सेवाएं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होगी।



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

6. अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
7. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(शिवांगी स्वर्णकार)

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

दिनांक 01.02.2021

क्रमांक : F1(79)DME/Estt./2017/Part-III/ 256

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, जिला कलक्टर, पाली/डूंगरपुर।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
11. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली/डूंगरपुर।
13. अधीक्षक, सम्बद्ध चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, पाली/डूंगरपुर।
14. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
15. रक्षित पत्रावली।

(शिवांगी स्वर्णकार)

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर